भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 987

दिनांक 8 फरवरी, 2022 के लिए प्रश्न

विषय: डेयरी क्षेत्र में सुधार

987. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र:

श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:

डॉ. उमेश जी. जाधव:

श्री प्रताप सिम्हा:

श्री एस. मुनिस्वामी:

श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सहकारी दुग्ध संघों सहित डेयरी क्षेत्र की स्थिति में सुधार के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य सहित ऐसी योजनाओं के तहत वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि निर्धारित, जारी और उपयोग की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) पशुपालन और डेयरी विभाग देश भर में डेयरी विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं लागू कर रहा है:

1) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)

2) डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ़)

3) डेयरी क्रियाकलापों में लगे डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एसडीसीएफपीओ) का समर्थन

(ख) योजनाओं का विवरण अनुबंध-I पर है।

(ग) चूंकि योजनाएं मांग आधारित हैं, इसलिए राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। एनपीडीडी, डीआईडीएफ और एसडीसीएफपीओ के लिए कर्नाटक राज्य सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी और उपयोग की गई निधियों की योजनाओं का राज्य-वार, वर्ष-वार विवरण अनुबंध-II, अनुलग्नक-III और अनुबंध IV में है।

(घ) एनपीडीडी, डीआईडीएफ और एसडीसीएफपीओ के तहत हासिल की गई उपलब्धि अनुबंध-V में है।

****

अनुबंध-I

एनपीडीडी, डीआईडीएफ और एसडीसीएफपीओ योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

1. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम

विभाग फरवरी 2014 से देश भर में केंद्रीय क्षेत्र की योजना-एनपीडीडी लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण दूध के उत्पादन, दूध और दूग्ध उत्पादों के खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचना को मजबूत करना है।

जुलाई 2021 में इस योजना को पुनरसंगठित/ पुनर्संरेखित किया गया है। पुनर्गठित एनपीडीडी योजना को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 1790 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा। पुनर्गठित योजना के दो घटक हैं:

1.1 घटक 'क' राज्य सहकारी डेयरी संघों/ जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ/ एसएचजी द्वारा संचालित निजी डेयरी/ दुग्ध उत्पादक कंपनियों/ किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्ता वाले दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के लिए अवसंरचना को बनाने/ मजबूत करने पर केंद्रित है।

1.2 घटक ख (सहकारिता के माध्यम से डेयरी (डीटीसी)) सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य संगठित बाजार में किसानों की पहुंच बढ़ाकर दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ाना, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं का उन्नयन, विपणन अवसंरचना और उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थानों की क्षमता में वृद्धि करना है, जिससे इस परियोजना क्षेत्र में दुग्ध उत्पादकों के प्रतिफल के वृद्धि में योगदान दिया जा सके। । उप-योजना में 1568.28 करोड़ रुपये का परिव्यय है, जिसमें वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 924.56 करोड़ रुपये का ऋण घटक (जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा 14,978 मिलियन रुपये), 475.54 करोड़ रुपये का केंद्रीय अनुदान हिस्सा और 168.8 करोड़ रुपये प्रतिभागी संस्थानों (पीआई) का हिस्सा शामिल है। । पात्र राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार हैं। उप-योजना इस विभाग द्वारा एनडीडीबी के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। पशुपालन और डेयरी विभाग पात्र प्रतिभागी संस्थानों जैसे दुग्ध संघों, दुग्ध उत्पादक कंपनियों, राज्य दुग्ध संघों, बहु राज्य दुग्ध सहकारी समितियों को योजना के मानदंडों के अधीन एनडीडीबी (कार्यान्वयन एजेंसी) के माध्यम से 1.5% प्रति वर्ष की रियायती दर पर ऋण सहायता प्रदान करता है। यह योजना उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के सभी जिलों को कवर करेगी, जिसमें डेयरी क्षमता वाले सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष (डीआईडीएफ)

विभाग ने डेयरी सहकारी, बहु राज्य डेयरी सहकारी, दुग्ध उत्पादक कंपनियों (एमपीसी), एनडीडीबी की सहायक कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और राज्य सहकारी और कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के लिए दूध प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और शीतलन सुविधाओं के निर्माण/ सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से दिसंबर 2017 में 11,184 करोड़ रु. (8,004 करोड़ रुपये का ऋण घटक) के कुल परिव्यय के साथ डीआईडीएफ की शुरुआत की।

डीआईडीएफ को वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक क्रियान्वित किया जाना है और उसकी भुगतान अवधि वर्ष 2030-31 तक होगी जो वित्त वर्ष 2031-32 की पहली तिमाही तक जारी रहेगी। इस योजना के तहत, नाबार्ड बाजार से धन जुटाता है और इसे एनडीडीबी/ एनसीडीसी को ऋण के रूप में वितरित करता है जिसे बाद में उनके द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को वितरित किया जाता है। एनडीडीबी को अब अपने स्वयं के संसाधनों से अंतिम उधारकर्ताओं को ऋण वितरित करने की भी अनुमति दी गई है। भारत सरकार नाबार्ड को 2.5% की दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है।

डीआईडीएफ के घटक: दूध प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और शीतलक सुविधाएं, पशु चारा/ चारा पूरक संयंत्र, दूध परिवहन प्रणाली (वैन / इन्सुलेटेड टैंकर आदि देखें), विपणन बुनियादी ढांचा (ई-मार्केट सिस्टम, बल्क वेंडिंग सिस्टम, पार्लर, डीप फ्रीजर, कोल्ड स्टोरेज आदि, कमोडिटी और गोपशु चारा गोदाम, आईसीटी अवसंरचना (जैसे ब्लॉक चेन तकनीक, सर्वर, आईटी सॉल्यूशंस, नियर रियल टाइम डिवाइसेज आदि), आर एंड डी (लैब और उपकरण, नई तकनीक, नवाचार, उत्पाद विकास आदि), अक्षय ऊर्जा अवसंरचना/ संयंत्र, ट्राइजेन/ ऊर्जा दक्षता अवसंरचना, डेयरी उद्देश्यों के लिए पेट बोतल/ पैकेजिंग सामग्री निर्माण इकाइयां, प्रशिक्षण केंद्र (जन क्षमता और अन्य आवश्यक अवसंरचना के साथ पूर्ण)।

3. डेयरी क्रियाकलापों में लगे डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एसडीसीएफपीओ) की सहायता करना:

केंद्रीय क्षेत्र की यह योजना वर्ष 2017-18 के दौरान शुरू की गई थी। यह योजना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियों और डेयरी क्रियाकलापों में लगे किसान उत्पादक संगठनों को बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के संकट से निपटने के लिए सुलभ पूंजीगत ऋण प्रदान करके सहायता करना है। डेयरी क्षेत्र पर कोविड -19 के आर्थिक प्रभाव के कारण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए 203 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक घटक के रूप में **"डेयरी क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सबवेंशन"** एक नया घटक पेश किया है। इस प्रकार योजना का वास्तविक कार्यान्वयन वर्ष 2020-21 के दौरान शुरू हुआ। वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान "कार्यशील पूंजी ऋण" नामक अन्य घटक को अस्थायी रूप से, निलंबन में रखा गया था। योजना के तहत कार्यशील पूंजी पर 2% ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाता है और समय पर भुगतान पर 2% का अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक एकछत्रीय योजना **"अवसंरचना विकास निधि"** के एक हिस्से के रूप में **डेयरी क्रियाकलापों में लगे सहायक डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एसडीसीएफपीओ)** के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है।

****

अनुबंध-II

क. एनपीडीडी के तहत कर्नाटक राज्य सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी, उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार, वर्ष-वार विवरण:

क. घटक क

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लाख रु. में					
		2018-19		2019-20		2020-21	
		जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई
1	आंध्र प्रदेश	70.66	70.66	878.97	878.53	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	511.19	0.00	0.00	0.00
3	असम	0.00	0.00	85.00	82.72	0.00	0.00
4	बिहार	3793.47	3793.47	1971.65	1902.58	9966.15	2544.20
5	छत्तीसगढ	0.00	0.00	464.88	230.11	250.95	0.00
6	गोवा	0.00	0.00	42.50	41.15	0.00	0.00
7	गुजरात	4325.53	3580.47	573.60	588.31	446.95	160.71
8	हरियाणा	161.99	161.99	616.10	415.44	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	1262.91	1221.47	655.93	61.54	61.55	39.64
10	जम्मू और कश्मीर	1539.35	1539.35	672.13	672.13	949.52	949.52
11	झारखंड	0.00	0.00	410.78	87.00	0.00	0.00
12	**कर्नाटक**	**1011.00**	**1011.00**	**2018.00**	**2018.00**	**3564.00**	**1128.14**
13	केरल	2381.24	2381.24	3096.60	2947.46	705.38	600.95
14	मध्य प्रदेश	2085.27	2085.27	1503.33	1503.33	1013.48	0.00
15	महाराष्ट्र	184.12	184.12	1314.88	902.48	1693.29	285.67
16	मणिपुर	51.09	51.09	575.76	575.76	514.62	510.65
17	मेघालय	427.77	427.77	628.10	628.17	821.98	166.30
18	मिजोरम	0.00	0.00	700.45	579.58	20.38	17.65
19	नागालैंड	0.00	0.00	349.80	349.80	16.78	0.00
20	ओडिशा	839.71	801.28	804.88	747.11	292.50	0.00
21	पुदुचेरी	0.00	0.00	42.50	42.50	0.00	0.00
22	पंजाब	368.83	368.83	1311.75	1311.75	612.50	186.56
23	राजस्थान	4290.27	4281.78	2439.70	2406.70	1750.22	740.70
24	सिक्किम	0.00	0.00	394.10	263.95	1047.25	1006.28
25	तमिलनाडु	759.62	759.62	1314.04	107.48	3859.76	732.03
26	तेलंगाना	0.00	0.00	957.09	844.10	919.75	919.75
27	त्रिपुरा	1337.14	181.70	5.60	5.32	78.99	0.00
28	उत्तर प्रदेश	2096.03	0.00	501.64	82.78	0.00	0.00
29	उत्तराखंड	0.00	0.00	1674.07	1643.71	0.00	0.00
30	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	101.79	101.79	0.00	0.00
	कुल योग	**26986.00**	**22901.13**	**26616.80**	**22021.28**	**28586.00**	**9988.75**

स्रोत: राज्य सहकारी संघ

अनुबंध-III

डीआईडीएफ के तहत संस्वीकृत और वितरित ऋण का राज्य-वार, वर्ष-वार विवरण (वर्ष 30.11.2021 तक):

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	(रु. करोड़ में)						
			परियोजना लागत		वितरित ऋण				
			कुल	ऋण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
एनडीडीबी द्वारा संस्वीकृत ऋण									
1	आंध्र प्रदेश	1	97.75	78.20	0.00	16.60	18.13	0.00	34.73
2	गुजरात	3	1070.35	822.59	0.00	156.30	12.98	34.71	203.99
3	हरियाणा	3	162.93	130.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	कर्नाटक	8	1626.39	914.90	396.15	227.31	79.68	6.74	709.88
5	केरल	1	15.25	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	महाराष्ट्र	3	455.76	256.35	0.00	52.83	78.20	0.00	131.03
7	पंजाब	4	316.91	249.78	41.85	13.16	39.00	28.18	122.20
8	राजस्थान	1	79.33	59.77	0.00	0.00	0.00	33.87	33.87
9	तेलंगाना	3	261.51	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	पश्चिम बंगाल	1	130.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	तमिलनाडु	4	379.30	303.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	बिहार	1	113.27	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप-योग		33	4708.75	3167.06	438.00	466.20	228.00	103.50	1235.70
एनसीडीसी द्वारा संस्वीकृत ऋण									
1	तमिलनाडु	5	307.44	245.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	मध्यब प्रदेश	1	83.85	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप- योग		6	391.29	295.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल-योग		39	5100.04	3463.02	438.00	466.20	228.00	103.50	1235.70

स्रोत: राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम।

अनुबंध -IV

एसडीसीएफपीओ योजना के तहत वितरित वर्ष 2020-21 के लिए राज्यवार ब्याज सबवेंशन की राशि।

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	संस्वीकृत ब्याज सबवेंशन		जारी ब्याज सबवेंशन		कुल वितरित ब्याज सबवेंशन
		सहकारी समितियों की संख्या	2% प्रति वर्ष की दर से संस्वीकृत	2% की दर से नियमित ब्याज सबवेंशन	2% की दर से अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन	
1	आंध्र प्रदेश	3	2.46	1.12	1.11	2.23
2	बिहार	5	0.96	0.71	0.66	1.37
3	गुजरात	9	120.08	61.72	61.46	123.18
4	हरियाणा	2	0.63	0.45	0	0.45
5	जम्मू और कश्मीर	1	0.05	0	0	0
6	झारखंड	1	0.06	0.04	0	0.04
7	कर्नाटक	12	9.81	4.89	4.89	9.78
8	मध्य प्रदेश	2	0.62	0.1	0	0.1
9	महाराष्ट्र	2	3.12	1.86	1.86	3.72
10	पंजाब	1	9.21	5.11	5.11	10.22
11	राजस्थान	7	2.39	1.74	0.95	2.69
12	तमिलनाडु	4	0.67	0.34	0.34	0.68
13	तेलंगाना	2	0.27	0.13	0.13	0.26
14	उत्तर प्रदेश	4	0.68	0.02	0	0.02
	कुल	55	151.02	78.23	76.51	154.74

स्रोत: राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

अनुबंध -V

एनपीडीडी, डीआईडीएफ और एसडीसीएफपीओ योजनाओं के तहत प्राप्त उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

1. एनपीडीडी योजना: पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

i 3.90 लाख नए किसानों/ दुग्ध उत्पादकों को नामांकित कर 6351 डेयरी सहकारी समितियों का गठन/ पुनरुद्धार किया गया है और किसानों से 6.22 लाख लीटर अतिरिक्त दूध की खरीद की गई है।

ii स्वचालित दुग्ध संग्रहण इकाई की स्थापना से 14,321 डेयरी सहकारी समितियों को सुदृढ़ किया गया है।

iii. ग्राम स्तर पर 1925 बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) 34.25 लाख लीटर शीतलन क्षमता के साथ स्थापित किए गए हैं।

iv. दूध में मिलावट की जांच के लिए 2097 इलेक्ट्रॉनिक दूध मिलावट परीक्षण उपकरण, 95 एफटीआईआर प्रौद्योगिकी आधारित दूध विश्लेषक और 537 ब्यूटिरो रेफ्रेक्टोमीटर लगाए गए हैं।

vi. दुग्ध उत्पादकों से खरीदे गए अतिरिक्त दूध के प्रसंस्करण और विपणन के लिए प्रतिदिन 6.00 लाख लीटर नई दूध प्रसंस्करण क्षमता स्थापित की गई है।

vi. 15 राज्यों में राज्य केंद्रीय प्रयोगशाला की स्थापना और जिला सहकारी दुग्ध संघों की दुग्ध परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी गई है।

2. डीआईडीएफ़ योजना:

वित्तीय: एनडीडीबी और एनसीडीसी द्वारा 30.11.2021 तक, 3463.02 करोड़ रुपये के ऋण घटक के साथ कुल 5100.40 करोड़ रुपये का परिव्यय संस्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, स्वीकृत ऋण राशि में से 1235.70 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है।

वास्तविक: 30.11.2021 तक, 45 लाख लीटर प्रति दिन (एलएलपीडी) दूध प्रसंस्करण क्षमता, 113 बीएमसी में 3.4 एलएलपीडी क्षमता, 165 मीट्रिक टन प्रति दिन (एमटीपीडी) दूध सुखाने की क्षमता और 6.76 एलएलपीडी मूल्य वर्धित उत्पाद (वीएपी) निर्माण क्षमता स्थापित किया गया।

3. एसडीसीएफपीओ योजना:

वित्तीय: 14.01.2022 तक, एनडीडीबी ने 2% प्रति वर्ष की दर से 10588.64 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण राशि के लिए 151.02 करोड़ रुपये की ब्याज सबवेंशन राशि की मंजूरी दी है और वर्ष 2020-21 के लिए 154.74 करोड़ रुपये (रु 78.23 करोड़ नियमित ब्याज सबवेंशन और 76.51 करोड़ रुपये अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन राशि के रूप में) जारी किए हैं

वास्तविक: योजना के तहत 55 दुग्ध संघ/एमपीसी को सहायता प्रदान की गई।

****